

**देवघर समाहरणालय**  
(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :-

अधिसूचना संख्या .....117...../भू अ०

दिनांक : 6/2/18

चूँकि झारखण्ड सरकार / समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम :- **कनियारी पोखर**, थाना-देवघर, थाना सं०-865, अंचल-मोहनपुर, जिला-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना मोहनपुर से हंसडीहा नई रेल लाईन निर्माण परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-**कनियारी पोखर**, थाना-देवघर, थाना सं०- 865, अंचल- मोहनपुर, जिला-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 4.11 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है-

क.स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	6	22	रैयती	धानी-3	0.06	गिरधारी राय पे० सूरज राय वो विशेषवर राय वो शालीग्राम राय पे० कोदो राय वो हेमन्ती देवी पति स्व० जामुन राय अंश समान सा० देह।	अर्जत दाग का अंश रक वा	अर्जत दाग का अंश रक वा	मौज टिचु टिय 866	मौज खड़ इया डीह नं० -79 7
2	6	12	रैयती	बाड़ी-2	0.10	तथैव।				
3	6	11	रैयती	बाड़ी-2	0.005	तथैव।				
4	6	8	रैयती	धानी-3	0.01	तथैव।				
5	6	15	रैयती	धानी-3	0.075	जगनी देवी वो नरेश राय पे० भेरो राय अंश समान सा० देह।				
6	6	14	रैयती	बाड़ी-2	0.11	तथैव।				
7	6	10	रैयती	बाड़ी-2	0.15	गिरधारी राय पे० सूरजू राय वो विशेषवर राय वो शालीग्राम राय पे० कोदो राय वो हेमनी देवी पे० जामुन राय वो जगनी देवी वो नरेश राय पे० भेरो राय अंश समान सा० देह।				
8	6	80	रैयती	बाड़ी-1	0.005	तथैव।				
9	8	23	रैयती	धानी-3	0.12	गणेश राय माता झलिया महतवाईन वो सुरेश राय वो जगराम राय पे० चीगड़ राय अंश समान सा० देह।				
10	8	7	रैयती	बाड़ी-2	0.25	तथैव।				
11	8	60	रैयती	धानी-2	0.09	तथैव।				
12	8	61	रैयती	धानी-2	0.09	तथैव।				
13	8	62	रैयती	धानी-3	0.20	तथैव।				
14	8	63	रैयती	बाड़ी-1	0.04	तथैव।				
15	9	42	रैयती	धानी-3	0.01	मु० भुखली घटवालिन जौजे-नेपाल राय ज० रै०।				
16	9	45	रैयती	धानी-3	0.07	तथैव।				
17	9	21	रैयती	धानी-1	0.005	तथैव।				
18	9	13	रैयती	बाड़ी-2	0.03	तथैव।				
19	14	31	रैयती	बाड़ी-2	0.32	मो० जाकीर हुसैन पे० मो० रियाजुद्दीन वो बीबी सहाना खातुन पति स्व० सलाउद्दीन वो वशीला पति				





						स्व० जसमुददीन वो मो० जयाउददीन वो मो० मोहउददीन माता बीबी जैतुन वो बीबी संजीदा खातुन पति मो० मिनहाजुददीन वो मो० सहूल वो नाजरा खातुन माता बीबी कोरेसा वो मो० नसीम वो संजीदा खातुन वो बजीदा खातुन वो हमिदा खातुन माता बीबी बदरुन वो मो० होसेन वो मो० हुसैन वो मो० फेसल वो साकरीन खातुन पे० मो० फारुक वो बीबी मकुरन वो बीबी सहारा पे० शेख एहशान अली मण्डल अंश समान सा० बलथर।
20	14	32	रैयती	धानी-1	0.82	बीबी मुकरर वो बीबी सहारा पे० शेख एहशान अली मण्डल वो सहाना खातुन पे० मो० सलाउददीन वो वशीला खातुन पे० मो० जसीमुददीन वो मो० जयाउददीन वो मो० माहउददीन माता बीबी जैतुन वो बीबी संजीदा खातुन पे० मो० मिनहाजुददीन वो फर्जाना खातुन वो जाकीर हुसैन वो शबनम वो रोशन खातुन वो अंजूम आरा वो गुफराना खातुन पे० मो० रियाजुददीन वो मो० नसीम वो संजीदा खातुन वो वजीदा खातुन वो हमिदा खातुन माता बीबी बदरुन वो मो० होसेन वो मो० हुसैन वो मो० फेसल वो साकरीन खातुन पे० मो० फारुक वो मो० सहूल वो नाजरा माता बीबी कोरेसा अंश समान सा० बलथर।
21	14	44	रैयती	धानी-3	0.09	तथैव।
22	14	29	रैयती	धानी-1	0.86	मो० सलीम पे० शेख खेलाफत अली वो मो० मिनहाज वो मो० मिकाइल पे० मो० मुबारक वो मो० हारुण वो मो० शहादत वो मो० हिफाजत पे० शेख रियाशत अली मण्डल अंश समान सा० बलथर।
23	14	24	रैयती	धानी-3	0.05	तथैव।
24	14	25	रैयती	बाड़ी-2	0.01	तथैव।
25	14	9	रैयती	बाड़ी-2	0.36	बीबी फहीमा वो बीबी मीना पे० उस्मान गनी वो मो० असलम वो रहीना खातुन पे० अबुबकर वो अब्दुल जबार पे० शेख सुलतान मण्डल अंश समान सा० बलथर।
26	14	58	रैयती	धानी-3	0.04	तथैव।
27	14	59	रैयती	धानी-2	0.14	तथैव।
कुल रकवा-					4.11	

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त

e:\2015 l.a (b.k.)\new rail 2017-18\notification\2nd time\kenari pokhar.docx

अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियों हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

  
5/2/18  
समाहर्ता-सह-उपायुक्त,  
देवघर।

ज्ञापांक ..... 117 ..... / भू अ0, देवघर, दिनांक ..... 6/2/18 .....

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, मोहनपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघरको सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

  
5/2/18  
समाहर्ता-सह-उपायुक्त,  
देवघर।